CONNECT SOLAR
HO: #508 D, CASA GREENS, TALAWALI CHANDA
INDORE – 452012, MADHYA PRADESH
Ph: +919753746542 Email: connectsolar15@gmail.com

Year 2020:

08.02.2020: The State DISCOM presents to the chief minister to change the definition of the CAPTIVE power plants and the entire selection criteria for the permission of grant of connectivity and connection and to sign LTOA including for the existing plants under execution post approval of final connectivity permission.

The CM office under the pressure of the state DISCOM asked to re-evaluate the applications and by changing the definition and criteria of the selection cancel the projects which are allocated. (still matter between HVPNL, DISCOM, CM office and MoP & RE)

10.02.2020: ***The Media reports though their sources about the decision in the meeting.***

12.02.2020: the HVPNL issues mail to all the developers to resubmit certain information for the re-evaluation of the application in a re-defined / newly defined terms to ensure all the applications are cancelled without siting any reason or purpose.

14.02.2020: ***Till today the developers have invested more than Rs. 2000 crores based on the final connectivity issued by the HVPNL.***

Neither there is any official / formal communication from any of the department nor the developers have been discussed and consulted. In the closed doors the department and the ministry conduct the meeting and impose their orders / directions on the developers without have concerns about the loss to the developers, consumers and to the state.

From the above sequence of the event it can clearly be seen that continuously for last more than 2 years the developers allocated capacities and are being asked to invest and develop their projects and then their investments and projects are imposed with newer conditions and are cancelled making mammoth loss to them.

Other than just favouring and being biased to one or two companies the state government is just doing discriminatory treatment with the other developers and has made mockery of their own policy and initiatives in the field of solar power development in the state.

As against a capacity envisaged of 2500 MW of solar only 38 MW of solar plants were given the approval and that to with differential treatment. Where around 380 MW of solar plants are under construction with grant of final connectivity and more than 1050 MW projects have been given in-principle feasibility and around 1000 MW more applications have been taken before the cut-off date and have received field feasibility

--- XXX ---

सीएम सौर ऊर्जा योजना में 2000 करोड़ लगा चुके निवेशकों को झटका

डिस्कॉम से अनुबंध की मंजूरी नहीं, गैर उपभोक्ता निवेशकों को 2.53 रुपये प्रति यूनिट में सौर ऊर्जा बेचने का विकल्प

यशपाल शर्मा

चंडीगढ़। हरियाणा में सीएम सौर ऊर्जा योजना में दो हजार करोड़ रुपये से अधिक लगा चुके निवेशकों को एक बार फिर झटका लगा है। दिसंबर 2018 में इस योजना को रद्द कर चुकी सरकार ने अब इसमें फिर बड़े बदलाव किए हैं।

सरकार को ये बदलाव डिस्कॉम (उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम) के दबाव में करने में पड़े हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते शनिवार को हुई बैठक में डिस्कॉम अपनी शंकाओं के बूते योजना के नियम व शर्तें बदलवाने में कामयाब रहे हैं। जिससे निवेशकों के हाथ निराशा से ज्यादा कुछ नहीं लगा है।

सूत्रों के अनुसार बैठक में यह सहमति बनी कि जिन निवेशकों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 358 मेगावाट की फाइनल कनेक्टिविटी मिल गई है, डिस्कॉम उनके साथ भी किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। फाइनल कनेक्टिवटी पाने वालों में से भी वही निवेशक सौर ऊर्जा उत्पादन कर पाएंगे, जो आवेदन करने की तिथि से डिस्कॉम के उपभोक्ता हैं। बावजूद इसके अगर कोई निवेशक सौर ऊर्जा उत्पादन योजना के तहत करना चाहता है तो सरकार उससे मात्र 2.53 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी।

इस रेट पर सरकार वर्तमान में सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया राजस्थान से बिजली खरीद रही है। जिन आवेदकों को फाइनल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उनके आवेदनों को रद किया जाएगा। जिन निवेशकों ने योजना में एसवीपी (स्पेशल पर्पज व्हीकल्स) के तहत अपनी इक्विटी निश्चित कर दी है, उनके आवेदनों की दोबारा छंटनी होगी। उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि इनके आवेदन रद करने हैं या इन्हें फाइनल कनेक्टिविटी देनी है। जिन निवेशकों की इक्विटी निश्चित नहीं हुई है, उनके आवेदनों को भी रद किया जाएगा। बैठक में हुए निर्णयों के बारे में सरकार स्तर पर और संबंधित विभागों का कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

एसपीवी में इक्विटी निश्चित कर चुके निवेशकों के आवेदन की दोबारा से होगी छंटनी

ये जानना चाह रहे निवेशक

- योजना को लेकर निवेशकों की ओर से लिखे पत्रों का जवाब दिया जाए
- बैठकों में हुए निर्णयों की जानकारी लिखित में निवेशकों को मिले
- 12 महीने की डेडलाइन अनुसार प्लांट लगा रहे निवेशक क्या करें
- जिन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा

चार रुपये प्रति यूनिट से कम में निवेशकों को नुकसान

निवेशकों को 2.53 रुपये प्रति यूनिट का रेट किसी सूरत में सही नहीं बैठता। इसमें उनकी निवेश की गई राशि भी पूरी नहीं होती। 4, 4.10 रुपये तक रेट को निवेशक उचित मानते हैं, चूंकि सरकार से ऊर्जा खरीद का भुगतान कम से कम 18 महीने बाद होता है। जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। महंगी जमीन व कम जनरेशन के कारण 3, 3.50 रुपये प्रति यूनिट रेट से भी निवेशकों को घाटा उठाना पड़ता है।

निवेशकों को पक्ष रखने का एक भी मौका नहीं

सरकार ने दिसंबर 2018 में भी योजना को बिना निवेशकों का पक्ष सुने ही रद कर दिया था और इस बार भी कोई वार्ता नहीं की गई। जबकि फाइनल कनेक्टिविटी के अलावा 1053 मेगावाट उत्पादन की सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है और 2000 मेगावाट उत्पादन के आवेदन लंबित हैं। निवेशकों को इस बात पर भी आपत्ति है कि उनकी सुने बिना ही निर्णय लेकर फैसला सुना दिया जाता है। जिससे उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बिना किसी दस्तावेज के वे हाईकोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते।

CONNECT SOLAR
HO: #508 D, CASA GREENS, TALAWALI CHANDA
INDORE – 452012, MADHYA PRADESH
Ph: +919753746542 Email: connectsolar15@gmail.com

CONNECT SOLAR
HO: #508 D, CASA GREENS, TALAWALI CHANDA
INDORE – 452012, MADHYA PRADESH
Ph: +919753746542 Email: connectsolar15@gmail.com

डिस्कॉम, ऊर्जा महकमे के पेंच कसेंगे मुख्यमंत्री

अमर उजाला ब्यूरो

सीएम अपनी महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने के लिए शनिवार को लेंगे बैठक

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2019 में लांच सीएम सौर ऊर्जा योजना को लेकर चला आ रहा गतिरोध खत्म करने के लिए खुद कमान संभाल ली है। अपनी महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।

इसमें ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, ऊर्जा महकमे, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम और डिस्कॉम के उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन डिस्कॉम अपनी शंकाओं का निवारण न होने के कारण पुराने रुख पर कायम हैं। डिस्कॉम तभी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम से सौर ऊर्जा खरीद को अनुमति देंगे, जब उनकी सबसे बड़ी शंका पावर ग्रिड के अस्थिर न होने व निगमों के दोबारा घाटे में न जाने की शंका दूर होगी। इन शंकाओं के चलते ही डिस्कॉम और ऊर्जा महकमे में सीएम सौर ऊर्जा योजना को लेकर गतिरोध बना हुआ है। ऊर्जा महकमे के उच्च अधिकारी योजना को लेकर चल रही फाइल में डिस्कॉम केरवैये को नकारात्मक करार दे चुके हैं। योजना में दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुके निवेशकों की निगाहें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। चूंकि, योजना के भविष्य को लेकर सीएम ने ही निर्णय लेना है। निवेशक इस लिए सहमे हुए हैं, क्योंकि यह योजना 2018 में एक बार रद भी हो चुकी है, इसे 2019 में कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू किया गया था। पुरानी योजना में निवेशकों को कैप्टिव व ग्रुप कैप्टिव सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए दी गई कई रियायतें वापस ले ली गई थीं। प्रदेश में स्थिति यह है कि इस योजना के तहत अब तक मात्र 38 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन ही हो रहा है, जबकि हरियाणा को 2022 तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य पूरा करना है। निवेशकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह से मांग की है कि शनिवार को होने वाली बैठक में योजना को लेकर चला आ रहा गतिरोध खत्म कराएं।

सीएम सौर ऊर्जा योजना पर बिजली विभाग, डिस्कॉम में ठनी

विभाग ने फाइल में लिखा, डिस्कॉम का रवैया योजना विरोधी, डिस्कॉम ने गिनाए अपने प्रयास

यशपाल शर्मा

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा योजना पर बिजली विभाग और डिस्कॉम आमने-सामने आ गए हैं। विभाग व बिजली निगमों में योजना को लेकर लंबे समय से चला आ रहा टकराव खत्म होने के बजाए और बढ़ गया है। इसकी झलक ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम की फाइलों में भी अब दिखने लगी है। गतिरोध सुलझाने को लेकर सरकार स्तर पर चल रही फाइल में बिजली विभाग ने कड़ी टिप्पणी की है।

विभाग के उच्च अधिकारियों ने लिखा है कि डिस्कॉम और हरियाणा पावर परचेज सेंटर का रवैया सौर ऊर्जा उत्पादन विरोधी है। जिसे विभाग, सरकार के विभिन्न फोरम पर बताया जा चुका है। नई मुख्य सचिव को जुलाई 2019 में इसके बारे में प्रस्तुतिकरण भी दिया है। बावजूद सोलर पावर प्लांट की कनेक्टिविटी पर लगाई रोक नहीं हट पाई। चूंकि, हरियाणा पावर परचेज सेंटर ने अपने डर को मद्देनजर रखकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। सरकार पहले ही निवेशकों को दी जा रही अनेक छूट में कटौती कर चुकी है, जिससे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट केवल 38.10 मेगावाट तक सीमित रह गए हैं। 1000 मेगावाट के सौ प्रोजेक्ट के धरातल पर स्थापित होने के मद्देनजर विभाग ने हालात की समीक्षा की है।

योजना रद्द हुई तो निवेशकों-किसानों को करोड़ों का नुकसान

बिजली विभाग के टिप्पणी का डिस्कॉम व परचेज सेंटर अधिकारियों ने भी जवाब दिया है। उन्होंने सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर किए गए अनेक प्रयास गिनाए हैं। साथ ही अपनी दिक्कतें भी साझा की हैं। उनकी ओर से सीएम से आग्रह किया गया है कि एचवीपीएनएल को निर्देश दें कि बैंकिंग के लिए वे नए निवेशकों को फाइनल कनेक्टिविटी न दे। अब इस मामले में मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक होनी है, जिसमें योजना का भविष्य तय होगा। सीएम सभी हितधारकों के मद्देनजर निर्णय लेंगे कि वर्तमान योजना के साथ ही आगे बढ़ना है या 2019 में लाई गई योजना में बदलाव करने हैं। बिजली विभाग और डिस्कॉम के टकराव में अगर योजना रद हुई तो निवेशकों के साथ ही किसानों को करोड़ों रुपये का सीधा नुकसान होगा।

डांवाडोल हो रहा निवेशकों का विश्वास

सीएम सौर ऊर्जा नीति के धरातल पर न उतरने से दर्जनों निवेशकों का विश्वास डांवाडोल हो रहा है। निवेशकों का कहना है कि एक तरफ सरकारें चाहती हैं, उद्योग और उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरित करें और बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाएं, दूसरी तरफ डिस्कॉम अक्षय ऊर्जा और वैकल्पिक स्रोतों से बिजली प्राप्त करने में अड़ंगा डाल रहे हैं। निवेशकों के साथ बीते दो साल से ऐसा होता आ रहा है कि वे पैसा निवेश करते हैं और अंत में योजना निरस्त कर दी जाती है। जिससे सरकार की साख खराब हो रही है।

सरहद पर जीती लड़ाई पर सिस्टम से हारा पूर्व सैनिक

सीएम सौर ऊर्जा योजना में गुरुग्राम निवासी पूर्व सैनिक ने भी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी है। सरहद पर दुश्मन के छक्के छुड़ाकर वे दो वीरता पदक जीतने में तो कामयाब रहा पर हरियाणा में सरकारी सिस्टम से हार गया। 2 वर्षों से उसका पैसा सौर ऊर्जा योजना में फंसा हुआ है। योजना तो आगे बढ़ नहीं रही पर पूर्व सैनिक की दिक्कतों में इजाफा जरूर हुआ है। 25 साल तक देश सेवा करने के बाद मिली जमा पूंजी निवेश करने के साथ ही उसने अन्य लोन भी लिए हुए हैं, योजना के अधर में लटकने से अब उसे किश्तें चुकानी मुश्किल हो रही हैं, जिस पर बैंक से नोटिस आना शुरू हो गए हैं। पूर्व सैनिक ने बताया कि 2 वीरता पदक जीतने के बावजूद सरकार स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही।

CONNECT SOLAR
HO: #508 D, CASA GREENS, TALAWALI CHANDA
INDORE – 452012, MADHYA PRADESH
Ph: +919753746542 Email: connectsolar15@gmail.com

CONNECT SOLAR
HO: #508 D, CASA GREENS, TALAWALI CHANDA
INDORE – 452012, MADHYA PRADESH
Ph: +919753746542 Email: connectsolar15@gmail.com

परेशानी

हाईकोर्ट जाने की तैयारी में सीएम सौर ऊर्जा योजना में निवेश कर चुकी कंपनियां

निवेशकों को सता रहा दो हजार करोड़ डूबने का डर

यशपाल शर्मा

ऊर्जा मंत्री मामले को सुलझाने में जुटे, डिस्कॉम की शंकाएं बरकरार

चंडीगढ़। हरियाणा में 2022 तक 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। 2019 की मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत अभी प्रदेश में मात्र 50 से 60 मेगावाट उत्पादन ही हो पा रहा है। योजना के सरपट दौड़ने की राह में डिस्कॉम यानि उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों की शंकाएं आड़े आ गई हैं।

योजना की अनेक गाइडलाइन पर डिस्कॉम को ऐतराज है। जिससे योजना में 2000 करोड़ निवेश कर चुके निवेशकों को अपनी राशि डूबने का डर सताने लगा है। डिस्कॉम के कड़े रुख से सरकार भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में पूरा मामला है और वह इसे लेकर बीते दिसंबर महीने में दो बैठकें भी कर चुके हैं, बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला पूरे मामले को सुलझाने में जुटे हैं। डिस्कॉम को योजना लागू होने से खुद का नुकसान होता दिख रहा है, जिससे बात आगे नहीं बढ़ पा रही। सौर ऊर्जा योजना के तहत 410 मेगावाट की फाइनल कनेक्टिविटी और 1000 मेगावाट से अधिक की सैद्धांतिक मंजूरी पा चुकी सोलर कंपनियों ने धरातल पर दो हजार करोड़ से अधिक का निवेश किया है। सरकार के आगे न बढ़ने पर उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। निवेशकों को लग रहा है कि अगर 2018 की तरह सरकार ने एक बार फिर योजना रद की तो उनका करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाएगा।

2500
मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2022 तक पूरा होता नहीं दिख रहा डिस्कॉम के कड़े रुख से सरकार भी आगे नहीं बढ़ पा रही

डिस्कॉम की ये हैं शंकाएं

- सौर ऊर्जा उत्पादन सूर्य की रोशनी पर निर्भर है। निरंतर उत्पादन न होने से ग्रिड अस्थिर हो सकते हैं
- डिस्कॉम को सौर ऊर्जा उत्पादन से आर्थिक नुकसान होने का भी डर
- उद्योगों के अपनी बिजली उत्पन्न करने से बड़े उपभोक्ता खिसक सकते हैं
- डिस्कॉम को फिर से घाटे में जाने की भी चिंता

निवेशकों के सरकार से सवाल

- एसएलडी और चीफ इंजीनियर प्लानिंग ने जब सैद्धांतिक कनेक्टिविटी निकाली उससे पहले पूरी पड़ताल की गई, फिर अब सौर ऊर्जा उत्पादन से ग्रिड अस्थिर होने की शंका कैसे उत्पन्न हुई
- सरकार ने उद्योग नीति में भी निवेशकों के लिए निवेश करते समय कैप्टिव सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का विकल्प दिया है, फिर उत्पादन से उसे वंचित कैसे किया जा सकता है
- जब उद्योगपतियों ने 2019 की सौर ऊर्जा नीति अनुसार निवेश कर दिया है तो सरकार उसे क्या शून्य मानती है
- 2018 में नीति लागू की फिर उसे बंद करते हुए मात्र 39 मेगावाट उत्पादन का क्लीयरेंस क्यों दिया
- किसानों से जमीन लीज पर ली जा चुकी है या खरीद ली है, एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, प्लांट चालू न होने पर एमएसएमई कहां से पैसा भरेंगी
- सरकार के जल्दी निर्णय न लेने पर निवेशक चुप बैठने के बजाए कोर्ट जाने को विवश होंगे

योजना लागू करने पर आगे बढ़ रहे : रणजीत सिंह

ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि योजना को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही अंतिम निर्णय होगा बताएंगे। योजना से जुड़े सभी पहलुओं और स्टेक होल्डर्स की शंकाओं पर विचार-विमर्श चल रहा है।